परिचय

जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है, वहीं लापरवाह रवैये में भी बढोतरी हो रही है। हाल के वर्षों में देश में दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। लगभग हर दिन समाचार पत्र में सड़क दुर्घटनाओं की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। पूरे भारत वर्ष में औसतन एक वर्ष में 4,50,000 सड़क दुर्घटनायें हुई हैं जिसमें 1,20,000 लोगों की मृत्यु हुई, और करीब 5 लाख लोग घायल हुए। इन्हीं आंकड़ों को यदि हरियाणा के संदर्भ में देखा जाये तो औसतन हर वर्ष 12,000 सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं और जिसमें करीब 4,500 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है तथा घायल होने वालों की संख्या 10,000 है। मोटर वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों की दयनीय दशा को हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए यातायात व पुलिस अधिकारियों के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि वे यातायात सम्बन्धित कानून को जाने व सख्ती से लागू करें।

देश में ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1939 में बनाए गए मोटरयान अधिनियम में समय–समय पर कई बदलाव किये गये। अन्त में लोगों की बढ़ती जरुरतों को पूरा करने के लिए 1988 में पूरी तरह से नया कानून बनाया गया, जिसे **मोटरयान अधिनियम 1988** के रूप में जाना जाता है। मोटरयान अधिनियम में मुख्य रुप से ड्राईवरों के लाईसेंस, मोटर वाहनों का रजिस्ट्रेशन, यातायात नियंत्रण, दुर्घटना में चालक की जिम्मेदारी, केस की प्रक्रिया तथा अपराध एवं उनके दण्ड के बारे में बताया गया है। इस के अतिरिक्त वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट जारी करने और ड्राईवरों को लाईसेंस देने के लिए देश में लगभग सभी राज्यों में मोटरयान नियमावली लागू है। हरियाणा राज्य में भी हरियाणा मोटरयान नियम 1993 बनाये गये हैं।

गत एक वर्ष में हरियाणा पुलिस के यातायात विंग के प्रभारी के तौर पर मेरा यह अनुभव रहा है कि ज्यादातर पुलिस अधिकारियों को मोटरयान अधिनियम तथा केन्द्रीय एवं राज्य मोटरयान नियमों की समुचित जानकारी नहीं है। यही स्थिति कमोवेश न्यायिक मैजिस्ट्रेट तथा अभियोजन की है। यातायात नियमों की उल्लघंना करने पर दोषी व्यक्तियों को केवल हल्का जुर्माना ले कर छोड़ दिया जाता है जिस कारण लोग बेधड़क हो कर नियम, कायदों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इस का सीधा प्रभाव सड़क सुरक्षा पर पड़ता है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिये आवश्यक है कि पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों तथा न्यायिक मैजिस्ट्रेट तथा अभियोजको को यातायात सम्बन्धी कानून एवं नियमों की सही जानकारी हो। इसी उद्देश्य से यह पुस्तक तैयार की गई है।

शत्रुजीत क.

(शत्रुजीत कपूर)
पुलिस महानिरीक्षक,
यातायात, हरियाणा, पंचकूला।

© आरक्षित द्वितीय संस्करण, 2011

इस पुस्तक की सामग्री का उपयोग इसके स्त्रोत का नाम देकर किया जा सकता है।

अध्याय 1 - लाईसेंस एवं परमिट

धारा 3 – लाईसेंस क्या है और यह किसको दिया जा सकता है ?

लाईसेंस का मतलब है वाहन चलाने के लिए परमिट या अधिकार पत्र। बगैर ड्राईविंग लाईसेंस के वाहन चलाना धारा 181 के तहत अपराध है जिसके लिये 3 महीने तक कारागार अथवा 500/–रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

धारा 4 – ड्राईविंग लाईसेंस पाने के लिए आयु सीमा–

दुपहिया वाहन जो 50 सी सी या उससे कम हो	– 16 साल
अन्य मोटर वाहन	– 18 साल
परिवहन वाहन	– 20 साल

धारा 5 – वाहन मालिक अथवा इन्चार्ज की जिम्मेदारी

वाहन मालिक अथवा वाहन इन्चार्ज की जिम्मेदारी है कि वह किसी भी व्यक्ति को बगैर ड्राईविंग लाईसेंस के गाड़ी न चलाने दें। ऐसा करना धारा 180 के अधीन अपराध है जिसके लिये उसे 3 महीने तक कारागार अथवा 1000/– रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं ।

☞ यदि पुत्र/पुत्री बिना ड्राईविंग लाईसेंस के अपने माता/पिता का वाहन चलाते हैं तो माता/पिता को धारा 180 के अधीन 3 महीने तक कारागार अथवा 1000/–रूपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं ।

प्रशिक्षु लाईसेंस (Learner's Licence)

प्रशिक्षु लाईसेंस उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सैद्धान्तिक परीक्षा (theory test) पास कर लेता है। धारा 14 के अनुसार प्रशिक्षु लाईसेंस केवल 6 माह के लिए ही वैध होता है । प्रशिक्षु लाईसेंस के बल पर गाड़ी चलाने के लिये आवश्यक है कि चालक के साथ एक प्रशिक्षक होना चाहिए जो कि इस तरह बैठा हो ताकि वाहन पूरी तरह उसके नियन्त्रण में हो। साथ में यह भी आवश्यक है कि वाहन के आगे और पीछे दोनो ओर सफेद रंग पर लाल रंग से "L" लिखा होना चाहिए।

☞शिक्षार्थी लाईसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक ऐसी लाईसेसिंग अथारिटी को अपना आवेदन दे सकता है जिसके कार्यक्षेत्र में वह सामान्यतः रहता है अथवा जहाँ पर वह वाहन चलाने का प्रशिक्षण ले रहा है या लेने का इच्छुक है।

परिवहन वाहनों को छोडकर अन्य किसी भी मोटर वाहन हेतू ड्राईविंग लाईसेंस लेने के लिए आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 8 की उप–धारा (3) के अधीन केवल परिवहन वाहन के प्रशिक्षु लाईसेंस लेने हेतु ही चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अन्य वाहनों के लिए आवेदक को केवल फार्म–I में स्वयं घोषणा करनी होती है।

- प्रशिक्षु लाईसेंस जारी करने से पहले सैद्धान्तिक परीक्षा (theory test) पास करना आवश्यक है, जिसका विस्तृत उल्लेख केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 11 में दिया गया है।

धारा 9 – ड्राईविंग लाईसेंस

- प्रशिक्षु लाईसेंस की तरह ड्राईविंग लाईसेंस के लिए भी आवेदनकर्ता ऐसी लाईसेन्सिंग अथॉरिटी को ही अपना आवेदन दे सकता है जिस के कार्यक्षेत्र में वह सामान्यतः रहता है, अथवा जिस के अधिकार क्षेत्र में उसने वाहन चलाने का प्रशिक्षण लिया है ।

- कोई व्यक्ति ड्राईविंग लाईसेंस के लिए तभी आवेदन कर सकता है जब वह परीक्षण के लिए जरुरी उम्र, पात्रता और अन्य मानदण्डों पर खरा उतरता हो। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क व दस्तावेज लगाना भी आवश्यक है।

> ☞चिकित्सा प्रमाण पत्र परिवहन वाहन चलाने हेतू ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिए ही आवश्यक है, अन्य वाहनों के लिए नहीं ।

- ड्राईविंग लाईसेंस पाने से पहले आवेदक द्वारा निर्धारित टैस्ट पास करना आवश्यक है। इस टैस्ट का विस्तृत विवरण केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 15 में दिया गया है।

किसी व्यक्ति को ड्राईविंग लाईसेंस देने से कब इंकार किया जा सकता है ?

- अगर यह पाया जाता है कि आवेदक शारीरिक कारण से वाहन चलाने में सक्षम नहीं है और उसके द्वारा वाहन चलाना आम

लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, तो उसको ड्राईविंग लाईसेंस देने से मना किया जा सकता है।

- यदि कोई व्यक्ति परीक्षा पास करने में असफल रहता है तो वह सात दिन के भीतर दोबारा परीक्षा दे सकता है। लेकिन अगर वह लगातार तीन बार परीक्षा में असफल रहता है तो वह अगले साठ दिनों तक परीक्षण के लिए फिर उपस्थित नहीं हो सकता।

- किसी व्यक्ति से मैडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र केवल तभी मांगा जा सकता है जब वह ट्रांसपोर्ट वाहन के लिये लाईसेंस लेना चाहता हो।

किसी व्यक्ति को ड्राईविंग लाईसेंस देने से निम्न आधारों पर भी इंकार किया जा सकता है –

- कि वह आदतन अपराधी है।
- अथवा आदतन नशीली दवाओं या नशीले पदार्थों का सेवन करता है।
- अथवा उसका लाईसेंस पहले कभी रद्द किया गया है।

परन्तु लाईसेंस देने से इंकार करने से पहले लाईसैन्सिंग अथॉरिटी को लिखित में कारण बताना होगा तथा आवेदक को निजी सुनवाई का अवसर भी प्रदान करना होगा । मोटरयान अधिनियम की धारा 9 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उच्च प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

धारा 14 –वैधता

- किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राईविंग लाईसेंस पूरे भारत में वैध माना जाएगा।

- ड्राईविंग लाईसेंस 20 वर्ष अथवा जब तक लाईसेंस धारक की आयु 50 वर्ष न हो (इनमें से जो भी पहले हो), तक वैध रहता है, इसके बाद उसे नवीनीकृत कराना होता है। मोटरयान अधिनियम की धारा 14 के अनुसार 50 साल की उम्र के बाद

नवीनीकरण एक बार में केवल पाँच वर्ष के लिए ही किया जायेगा।

☞ कोई भी ड्राईविंग लाईसेंस समयावधि पूरी होने के तीस दिन बाद तक भी उपयोग किया जा सकता है।

- परिवहन वाहन का ड्राईविंग लाईसेंस केवल 3 वर्ष के लिये वैध होता है ।
- ऐसे परिवहन वाहन जो खतरनाक माल ढोने के लिये प्रयोग किये जाते हैं, का लाईसेंस केवल एक वर्ष के लिये ही वैध होता है तथा इसका नवीनीकरण करवाने से पहले चालक को कम से कम एक दिन का निर्धारित कोर्स करना अनिवार्य है ।

ड्राईविंग लाईसेंस हेतू शैक्षणिक योग्यता

हल्के मोटर वाहनों के लिए ड्राईविंग लाईसेंस हेतू कौई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है । परन्तु परिवहन वाहनों के लिए कम से कम कक्षा 8 पास होना आवश्यक है (केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 का नियम 8) ।

धारा 19– लाईसेंस कब रद्द किया जा सकता है ? इसे कौन रद्द करेगा?

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के अधीन लाईसैन्सिंग अथॉरिटी निम्न परिस्थितियों में ड्राईविंग लाईसेंस रद्द या निरस्त कर सकती है :–

- यदि धारक, आदतन अपराधी या आदतन शराबी हो ।
- यदि वह किसी नशीली दवा या मनोत्तेजक पदार्थ का सेवन करने का आदी हो ।
- यदि उसने किसी संज्ञेय अपराध को करने में किसी वाहन का उपयोग किया है या ऐसा कर रहा है ।
- उसके पुराने आचरण के आधार पर जब यह लगता हो कि उसका वाहन चलाना आम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है ।
- यदि वह ऐसा कोई कार्य करता है जो कि आम लोगों के लिए न्यूसेंस या खतरा पैदा करने वाला हो ।

- यदि उसने ड्राईविंग लाईसेंस धोखे या कपट से लिया हो।
- यदि उसका लाईसेंस निलम्बित किया गया हो तथा निलम्बन की अवधि के पश्चात वह परीक्षण में पास न हुआ हो।
- 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति संरक्षण में प्रशिक्षु ड्राईविंग लाईसेंस (Learners Licence) लेता है परन्तु बाद में उसकी संरक्षकता खत्म हो गई हो।

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय मोटरयान नियम 21 में ऐसे अपराधों की सूची दी है, जिनको करने पर लाईसैंसिंग अथॉरिटी दोषी व्यक्ति को ड्राईविंग लाईसेंस रखने के अयोग्य घोषित कर सकती है । इन में मुख्य रूप से निम्न अपराध आते हैं:–

1. क्षमता से अधिक भार लादना (Overloading)
2. शराब अथवा मनोत्तेजक पदार्थ के नशे में वाहन चलाना (Drunken Driving)
3. निर्धारित गति से अधिक गति में वाहन चलाना (Over speeding)
4. वाहन चलाते हुए मोबाईल फोन का प्रयोग करना
5. धरने, प्रदर्शन आदि के दौरान जाम लगाने के लिए वाहन को आड़ा–तिरछा खड़ा करना
6. उप निरीक्षक अथवा उससे वरिष्ठ अधिकारी के संकेत पर गाड़ी को न रोकना
7. जन सेवा वाहन जैसे ऑटो, टैक्सी, मैक्सी कैब, बस आदि में चालक द्वारा धूम्रपान करना

नोट : विस्तृत जानकारी के लिये केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 21 देखें।

☞ लाईसैन्सिंग प्राधिकारण (Authority) क्षमता से अधिक भार लादने, निर्धारित गति से अधिक गति पर वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करने आदि के लिए धारक को लाईसेंस रखने के अयोग्य घोषित कर सकता है ।

ऊपर दी गई परिस्थितियों में लाईसेसिंग आथॉरिटी लाईसेंस को निलम्बित या रद्द कर सकती है। परन्तु ऐसा आदेश करने से पहले उसे लिखित में कारण बताना होगा तथा धारक को सुनवाई का मौका भी देना होगा। इस धारा के तहत लाईसेंस के निलम्बन अथवा निरस्तीकरण का आदेश होने पर लाईसेंस धारक को तुरन्त लाईसेंस आथॉरिटी में लाईसेंस वापिस जमा करना होगा।

लाईसेंस धारक यदि ऐसे फैसले से सन्तुष्ट नहीं है तो वह इस सम्बन्ध में निर्धारित अथॉरिटी को अपील कर सकता है। यह अपील 30 दिन के भीतर करनी होगी। हरियाणा प्रांत में स्टेट ट्रांसपोर्ट नियन्त्रक, अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट नियन्त्रक तथा संयुक्त ट्रांसपोर्ट नियन्त्रक को इस सम्बन्ध में अपील प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

क्या अदालत मोटरयान अधिनियम का अपराध करने पर किसी व्यक्ति को ड्राईविंग लाईसेंस रखने के अयोग्य घोषित कर सकती है ?

धारा 20 (1) के तहत अदालत यदि चाहे तो मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध करने पर अथवा किसी भी अन्य अपराध जिसमे किसी मोटर वाहन का इस्तेमाल हुआ हो, के तहत सजा होने पर किसी भी व्यक्ति को ड्राईविंग लाईसेंस रखने अर्थात् वाहन चलाने के अयोग्य घोषित कर सकती है। यह अयोग्यता अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा तक वैध होगी।

☞ धारा 20 (2) के तहत निम्नलिखित तीन धाराओं के तहत सजा होने पर अदालत अनिवार्य रूप से वाहन चालक को ड्राईविंग लाईसेंस रखने के अयोग्य घोषित करेगीः–

1. धारा 132 – कम से कम एक माह के लिये।
2. धारा 134 – कम से कम एक माह के लिये।
3. धारा 185 – कम से कम 6 माह के लिये ।

धारा 132– यदि कोई वाहन चालक वर्दीधारी उप निरीक्षक या उससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा रूकने के आदेश की अवहेलना करता है, तो वह धारा 132 का अपराध करता है।

धारा 134– यदि वाहन चालक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नजदीकी हस्पताल नहीं पहुँचाता अथवा किसी पुलिस अधिकारी के मांगने पर कोई सूचना नहीं देता, अथवा बीमा कम्पनी को दुर्घटना बारे

निर्धारित सूचना (जैसे कि दुर्घटना की तिथि तथा समय, घायलो व मृतकों का विवरण, चालक का विवरण, बीमा पॉलिसी का विवरण, आदि) नहीं देता, अथवा कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान घायल व्यक्ति के ईलाज में पुलिस कार्यवाही के नाम पर देरी करता है, तो वह धारा 134 का अपराध करता है।

धारा 185– शराब पीकर अथवा किसी मादक पदार्थ के नशे में वाहन चलाना।

उपरोक्त तीन धाराओं के अतिरिक्त **धारा 184**– खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाना– का अपराध करने पर यदि किसी व्यक्ति को दूसरी बार सजा होती है तो अदालत उसे अनिवार्य रूप से अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि के लिये वाहन चलाने के अयोग्य घोषित करेगी। इसी प्रकार **धारा 189**– किसी सार्वजनिक स्थान पर रेसिंग करना–का अपराध करने पर अधिकतम दो वर्ष तक, तथा **धारा 192**– बिना पंजीकरण के वाहन का प्रयोग करना– का अपराध करने पर अधिकतम एक वर्ष तक के लिये चालक को अनिवार्य रूप से वाहन चलाने के अयोग्य घोषित किया जायेगा

धारा 21– लाईसेंस निलंबित (Suspend) कब किया जा सकता है?
किसी व्यक्ति का ड्राईविंग लाईसेंस निम्न कारणों से निलंबित किया जा सकता है–

- धारा 22 मोटरयान अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से वाहन चला कर एक या अधिक व्यक्तियों को मार देता है अथवा गम्भीर रूप से घायल कर देता है, तो धारा 184 के दण्ड के अतिरिक्त न्यायालय उसका ड्राईविंग लाईसेंस रद्द अथवा समुचित समय अवधि के लिए निलम्बित कर सकता है ।

- यह प्रावधान मोटरयान अधिनियम की धारा 20(3) में किया गया है।

- किसी भी लाईसेंस को ट्रैफिक पुलिस निलंबित नहीं कर सकती। ट्रैफिक पुलिस का अधिकार केवल चालान काटने तक ही सीमित होता है। यह जिम्मेदारी अभियोजन की है कि वह इसे साबित करे और अंततः कोर्ट द्वारा अथवा लाईसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा ही लाईसेंस निलंबित किया जा सकता है।

- धारा 35 मोटरयान अधिनियम :ड्राईविंग लाईसेंस की तरह यदि किसी कण्डक्टर को मोटरयान अधिनियम के तहत किसी अपराध हेतू दण्ड दिया गया हो तो न्यायालय समुचित समय अवधि के लिए उसे कण्डक्टर का लाईसेंस रखने के अयोग्य घोषित कर सकता है ।

पृष्ठांकन (Endorsement) **क्या है?**

पृष्ठांकन का अर्थ है किसी दस्तावेज पर प्रविष्टि दर्ज करना। ड्राईविंग लाईसेंस पर पृष्ठांकन उस समय किया जाता है जब कोई अदालत या कोई सक्षम प्राधिकारी किसी चालक को वाहन चलाने के अयोग्य घोषित करता है अथवा ऐसे किसी पुराने आदेश में बदलाव करता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित धाराओं के तहत सजा/जुर्माना होने पर अदालत अनिवार्य रूप से चालक के ड्राईविंग लाईसेंस पर अपराध का पृष्ठांकन करेंगे अर्थात प्रविष्टि दर्ज करेगीः–

(क) बिना वैध लाईसेंस के वाहन चलाना (धारा 3)

(ख) अपना लाईसेंस किसी अन्य व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए देना (धारा 6 (2))

(ग) वाहन चलाने के अयोग्य घोषित होने पर भी वाहन चलाना (धारा 23)

(घ) बिना पंजीकरण के वाहन चलाना (धारा 39)

(ड़) बिना फिटनैस प्रमाण पत्र के व्यवसायिक वाहन चलाना (धारा 56)

(च) परमिट का उल्लघंन करके अथवा बिना परमिट के वाहन चलाना (धारा 66)

(छः) बिना स्पीड गवर्नर के वाहन चलाना (नियम 118)

(ज) सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन तुलवाने के आदेश का उल्लघंन करना (धारा 114)

(झ) वर्दीधारी पुलिस अधिकारी अथवा परिवहन विभाग के सक्षम अधिकार द्वारा मांगने पर लाईसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र न देना (धारा 130)

(ण) उप निरीक्षक अथवा इससे वरिष्ठ वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा रूकने के आदेश के बावजूद न रोकना (धारा 132)

(त) वाहन चलाने के अयोग्य घोषित होने के सम्बन्ध में पृष्ठांकन को छुपा कर ड्राईविंग लाईसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत करना (धारा 182)

(थ) निर्धारित गति से अधिक गति पर वाहन चलाना (धारा 183)

(द) खतरनाक ढंग से वाहन चलाना (धारा 184)

(ध) शराब पीकर अथवा नशे में वाहन चलाना (धारा 185)

(न) शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असक्षम होने पर भी वाहन चलाना (धारा 186)

(प) धारा 183, 184, 185 एवं 186 का अपराध करने हेतू उकसाना ।

(फ) अवैध तौर पर रेसिंग करना (धारा 186)

(ब) असुरक्षित स्थिति में वाहन चलाना (धारा 190)

(भ) निर्धारित मात्रा से अधिक भार लादना (Overloading) (धारा 194)

(म) ड्राईविंग लाईसेंस में टैम्परिंग करना

(ट) किसी अन्य अपराध जिस में मोटर वाहन का प्रयोग हुआ हो, में सम्मिलित होना।

उपरोक्त अपराधों के सम्बन्ध में पृष्ठांकन करने का उद्देश्य है कि वाहन चालक द्वारा किये गये अपराधों का पूर्ण विवरण रिकार्ड में रखा जा सके।

परिचालक (Conductor) का लाईसेंस–

मोटरयान अधिनियम की धारा 29 के अनुसार कोई व्यक्ति यात्री वाहन मे परिचालक के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास प्रभावी परिचालक लाईसेंस होगा। परमिट के साथ –साथ परिचालक लाईसेंस भी चैक किया जाना चाहिए। निम्नलिखित शर्तो के आधार पर किसी व्यक्ति को परिचालक लाईसेंस दिया जा सकता है : –

- उम्र 18 वर्ष से कम न हो (धारा 31) तो उसका परिचालक लाईसेंस रद्द किया जा सकता है।
- हिन्दी विषय सहित कम से कम मैट्रिक (हाईस्कूल) पास किया हो (हरियाणा मोटरयान नियम 1993 का नियम 22)
- चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न हो। यदि चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर यह लगता है कि आवेदक परिचालक का काम करने में सक्षम नही है तो, उसे लाईसेंस देने से मना किया जा सकता है।
- आवेदक का परिचालक लाईसेंस पहले कभी निरस्त नही किया गया हो ।
- यदि आवेदक मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत् दोषी ठहराया गया हो और कोर्ट ने दण्ड देने के साथ साथ उसे कुछ समय के लिए वाहन चलाने के लिए अयोग्य ठहरा दिया हो, तो वह उतने समय के लिए परिचालक लाईसेंस लेने हेतू भी अयोग्य माना जायेगा।

यदि लाईसेन्सिग अधिकारी को यह लगता है कि किसी कारण जैसे बीमारी या शारीरिक अक्षमता की वजह से परिचालक स्थाई रूप से अक्षम है, तो उसका परिचालक लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि लाईसेंस को रद्द करने से पहले सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति निरस्तीकरण के आदेश से असंतुष्ट है तो वह 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है । कानून की धारा 35 के अनुसार जब किसी व्यक्ति (परिचालक) को मोटरयान अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिये सजा दी जाती है तो न्यायालय यदि न्यायोचित समझे तो वह कानून में दी गई सजा के अतिरिक्त, एक निर्धारित समयावधि के लिये उसका परिचालक लाईसेंस रद्द कर सकती है। हालाकि इस आदेश के खिलाफ परिचालक को अपील में जाने का पूरा अधिकार है।

धारा 66 –परमिट क्या है?

परमिट की परिभाषा धारा 2 (31) में दी गई है। परमिट का मतलब होता है

कि किसी वाहन को परिवहन वाहन के रूप में चलाने के लिए मान्यता। यह मान्यता राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी की जाती है। एक ऑपरेटर को परमिट देने का मतलब है कि उसे इस बात का अधिकार है कि वह दिये गए मार्ग पर वाहन को चला सकता है। परिवहन वाहन का परमिट हमेशा एक विशेष मार्ग पर चलने के लिए ही होता है। निर्धारित रुट का विवरण उस परमिट में ही लिखा होता है। यदि ऑपरेटर परमिट में लिखे मार्ग पर नहीं चलता है, तो यह माना जायेगा कि वह बिना परमिट के चल रहा है, भले ही उसके पास किसी दूसरे मार्ग का वैध परमिट हो।

अध्याय 2-वाहन एवम् यातायात नियंत्रण

वाहनों का वर्गीकरण-

मोटर अधिनियम के तहत मोटर वाहनों को अलग–2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार से हैं :

"N". श्रेणी में वे वाहन आते है जो मुख्य रूप से सामान ढोने के काम आते हैं और जिनमें कम से कम चार पहिये होतें हैं। N-श्रेणी के वाहनों को आगे तीन उप–श्रेणियों में विभाजित किया गया है :–

N1 श्रेणी में सामान ढ़ोने वाले ऐसे वाहन आते हैं जिनका कुल वाहन भार 3.5 टन से अधिक नही होता।

N2 श्रेणी में सामान ढ़ोने वाले ऐसे वाहन आते हैं जिनका कुल वाहन भार 3.5 टन से अधिक परन्तु 12 टन से कम होता है ।

N3 श्रेणी में वे वाहन आते हैं जिनका कुल वाहन भार 12 टन से अधिक होता है।

"M" श्रेणी में वे वाहन आते हैं जो सवारी ढोने के काम में लाये जाते हैं तथा जिनमें कम से कम चार पहिये होते हैं। M.श्रेणी के वाहनों को भी निम्नलिखित तीन उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है :–

M1 श्रेणी में वे यात्री वाहन आते हैं जिनमें अधिकतम 8 लोगों के बैठने की क्षमता हो (चालक के अतिरिक्त)

M2 श्रेणी में वे यात्री वाहन आते हैं जिनमें 9 या इससे अधिक लोगों के बैठने की क्षमता हो (चालक के अतिरिक्त) तथा कुल वाहन भार अधिकतम 5 टन हो ।

M3 श्रेणी में वे वाहन आते हैं जिनमें चालक के अतिरिक्त 9 या उससे अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता हो तथा जिनका कुल वाहन भार 5 टन से अधिक हो।

☞मंजिली वाहन (stage carriage) का तात्पर्य उन वाहनों से होता है जो कि कम से कम सात लोगों को (चालक समेत) बैठाने की क्षमता रखती हैं।

इसके अलावा ये जानना भी जरूरी है कि मोटे तौर पर कौन से वाहन हल्के और कौन से भारी वाहन कहलाते है?

कानून में दी गई परिभाषा के अनुसार भारी वाहन (माल ढ़ोने वाले या यात्री वाहन) वे वाहन होते हैं जिनका कुल भार (बिना सामान या यात्रियों के) 12,500 किलोग्राम से अधिक हो । हल्के वाहन से तात्पर्य उन वाहनों से है जिनका कुल भार (बिना यात्री या सामान के) 7,500 किलोग्राम से कम हो। मध्यम वाहन (यात्री / माल वाहन) में व सभी वाहन आते हैं जिनका भार 7500 किलोग्राम से अधिक पर 12,500 किलोग्राम से कम हो।

अधिकतम सुरक्षित भार–

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 113 के तहत किसी भी वाहन का अधिकतम भार, उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दर्शाये गये भार से अधिक नहीं हो सकता। प्रत्येक वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में खाली तथा भरे हुए वाहन की अधिकतम भार सीमा दी हुई होती है । इस अधिनियम की धारा 114 के अनुसार परिवहन विभाग के अधिकृत अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी वाहन चालक को 10 किलोमीटर की परिधि के अन्दर–2 स्थित धर्मकान्टे पर वाहन का भार तुलवाने का निर्देश दे सकता है, अधिकतम सीमा से अधिक भार होने पर धारा 194 के तहत चालान कर सकता है तथा वाहन मालिक के खर्चे पर सीमा से अधिक भार को उतरवाने का निर्देश भी दे सकता है। धारा 194 का अपराध करने पर चालक को कम से कम 2 हजार रूपये का जुर्माना तथा क्षमता से अधिक भार पर प्रति टन एक हजार रूपये की दर से अतिरिक्त जुर्माना तथा अधिक वजन को उतरवाने का खर्चा भी भुगतना होगा।

धारा 194 (2) के तहत अधिकृत अधिकारी के वाहन तुलवाने के आदेश की उल्लघंना करने पर चालक को तीन हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

रिफ्लेक्टर–

केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 का नियम 104 एक महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के तहत वाहनों पर लगे रिफ्लेक्टर्स के बारे में प्रावधान किया गया है। पुलिस तथा परिवहन विभाग के प्रत्येक अधिकारी को इस नियम का ज्ञान होना चाहिये। इसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :–

- मालवाहक N2 तथा N3 श्रेणी के वाहन जिन का कुल भार 3.5 टन से 7.5 टन के बीच है उन पर सामने की तरफ सफेद व

पीछे की तरह लाल रंग की न्यूनतम 20 मिलीमीटर चौड़ी रिफ्लेक्टर टेप लगाना अनिवार्य है।

- N2 तथा N3 श्रेणी के मालवाहक वाहन जिनका कुल भार 7.5 टन से अधिक है, उन पर सामने की तरफ सफेद व पीछे की तरह लाल रंग की न्यूनतम 50 मिलीमीटर चौड़ी रिफलेक्टर टेप लगाना अनिवार्य है।

- 7.5 टन से बडे ट्रेलर अथवा सेमी ट्रेलर पर पीछे तथा साईडों के चारो किनारों पर न्यूनतम 50 मिलीमीटर चौड़ी रिफलेक्टर टेप की पट्टी लगाना अनिवार्य है। टेप का रंग साईडों में पीला और पीछे की तरह लाल होगा। इसके अतिरिक्त सामने की ओर 30 मिलीमीटर चौड़ी सफ़ेद पट्टी भी अनिवार्य है।

- M2 तथा M3 श्रेणी के यात्री वाहनों पर सामने की तरफ सफेद तथा पीछे की तरफ लाल रंग की न्यूनतम 50 मिलीमीटर चौड़ी रिफलेक्टिप टेप लगाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त M3 श्रेणी के यात्री वाहनों पर साईड में पीले रंग की पट्टी भी लगाई जानी अनिवार्य है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी वाहनो पर पीछे, दायें एवं बायें लाल अथवा सफेद रिफलेक्टर नियमानुसार लगे हुए होने चाहिए ।

वाहन पंजीकरण–

हर वाहन का पंजीकरण (registration) नम्बर लेना तथा इस पंजीकरण (registration) नम्बर को वाहन की नम्बर प्लेट पर पैटर्न के अनुसार लिखवाना अनिवार्य है। वाहन को बिना नम्बर के अथवा बिना पैटर्न की नम्बर प्लेट के चलाना धारा 192 का अपराध है, जिस के तहत पहली बार कम से कम 2000/– रूपये तथा अधिकतम 5000/–रूपये तक जुर्माना हो सकता है । दूसरी या उससे अधिक बार यह अपराध करने पर एक वर्ष तक का कारावास, अथवा कम से कम 5000/–रूपये जुर्माना जो अधिकतम10,000/–रूपये तक भी हो सकता है, अथवा दोनो भी हो सकते हैं।

मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 तथा 51 के अनुसार

- सभी वाहनों में आगे और पीछे दोनों ओर नम्बर प्लेट लगी होनी चाहिए

- नम्बर प्लेट इस तरह लगी होनी चाहिए ताकि उसे हटाया न जा सके
- व्यवसायिक वाहनों के आगे पीछे के अतिरिक्त दाएं और बाएं ओर भी रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखा होना चाहिए।
- गैर परिवहन वाहन की नम्बर प्लेट सफेद पर काले रंग से तथा परिवहन वाहनों पर पीले पर काले रंग से लिखी होनी चाहिए।
- प्लेट फैन्सी या फैन्सी अक्षरों में, या चमकदार धातु के नम्बर की नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्लेट मान्य नहीं है। प्लेट पर किसी तरह की लाईन या रंग या किसी अन्य तरह का निशान या चिन्ह् भी नहीं होना चाहिए ।
- रजिस्ट्रेशन नम्बर यात्री वाहन में ड्राईवर और यात्रियों के बीच अथवा किसी ऐसे स्थान पर जहाँ यात्रियों को दिखे भी, लिखा होना चाहिए।
- रजिस्ट्रेशन नम्बर में शब्द अंग्रेजी में (उदाहरण के लिए HR या UP या DL) होने चाहिए तथा अंक अरेबिक में (यानि 1,2,3,4 आदि) लिखे होने चाहिए । किसी अन्य शैली का प्रयोग जैसे एच.आर. या दिल्ली आदि लिखना मना है, साथ ही २,३,५,६ आदि लिखना भी कानूनन गलत है।

☞ नम्बर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर के अतिरिक्त कुछ भी लिखना कानूनन अपराध है।

नियम 50 के अनुसार नम्बर प्लेट पर अंको व शब्दों का माप

- रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट का माप केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के अनुसार होना चाहिए अर्थात
- दुपहिया तथा तिपहिया वाहनों के लये 200 X 100 मिलीमीटर
- कार के लिए 500 X 120 मिलीमीटर अन्य सभी वाहनों के लिए (व्यवसायिक वाहनो सहित) 340 X 200 मिलीमीटर होनी चाहिए।

नम्बर प्लेट पर अंको और शब्दों का माप केन्द्रीय मोटरयान नियम 51 में दिया गया है :–

क्र.सं	वाहन श्रेणी	न्यूनतम ऊंचाई (मि.मि.)	न्यूनतम मोटाई (मि.मी.)	शब्दों व अंको के बीच जगह (मि.मी.)
1	चौपहिया वाहन	65	10	10
2.	तीन पहिया	40	7	7
3.	मोटरसाईकिल स्कूटर	40	7	7

☞ किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा किसी अन्य स्थान पर कोई व्यक्ति वाहन तभी चलाएगा अथवा मोटरयान का स्वामी तभी वाहन चलाने की अनुज्ञा देगा जब वह वाहन मोटरयान अधिनियम के अनुसार पंजीकृत हो,वाहन का पंजीकरण प्रमाण–पत्र निलम्बित या रद्द न किया गया हो तथा वाहन की नम्बर प्लेट नियम 50 व 51 के अनुसार हो ।

लाईट–

केन्द्रीय मोटरयान नियम 105 के अनुसार प्रत्येक वाहन चालक के लिये किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते हुए सूर्यास्त के आधे घण्टे बाद अथवा किसी भी अन्य समय जब पर्याप्त रोशनी न हो, निर्धारित हैड लाईट ऑन करना अनिवार्य है। इस के अतिरिक्त वाहन के सामने की तरफ स्पाट लाईट अथवा सर्च लाईट लगाना मना है। केवल असामान्य पस्थितियों में वाहन पंजीकरण प्राधिकरण के अनुमोदन से ही ऐसी लाईटें लगाई जा सकती हैं।

लाल और नीली बत्तियों का प्रयोग–

केन्द्रीय मोटरयान नियम 108 के तहत निर्धारित गणमान्य व्यक्ति ही अपने वाहन पर लाल अथवा नीली बत्ती का प्रयोग कर सकते है जिनकी सूचि **परिशिष्ट 'क'** पर संलग्न है।

मोटर वाहनों का निर्धारित माप–

केन्द्रीय मोटरयान नियम 93 के तहत मोटर वाहनों की अधिकतम चौडाई लम्बाई व ऊँचाई निर्धारित की गई है, जो मुख्यतः इस प्रकार से है :–

चौड़ाई–

किसी भी मोटर वाहन की चौड़ाई 2.6 मीटर से अधिक नही होगी।केवल निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाले वाहनो की चौड़ाई 3 मीटर तक हो सकती है। पर उस भाग पर जो 2.6 मीटर से अधिक हो,उस पर काली व पीली धारियों से पेन्ट होना चाहिए।

लम्बाई

- मोटर वाहन की अधिकतम लम्बाई (परिवहन वाहन के अलावा) – 6.5 मीटर
- परिवहन वाहन (दो या अधिक एक्सल वाले) – 12 मीटर
- ट्रक ट्रेलर/ट्रैक्टर–ट्राली – 18 मीटर
- निमार्ण उपयोगी यंत्र वाहन (Construction equipment vehicle) – 12.75 मीटर

ऊँचाई

- मोटर वाहन की अधिकतम ऊँचाई (डबल डैकर ट्रांसपोर्ट वाहन के अलावा) –3.8 मीटर
- डबल डैकर ट्रांसपोर्ट वाहन की अधिकतम ऊँचाई –4.75 मीटर
- ट्रैक्टर ट्रेलर माल वाहन की अधिकतम ऊँचाई –4.20 मीटर
- निर्माण उपयोगी यंत्र वाहन (Construction equipment vehicle) की ऊँचाई (केवल सड़क पर चलते हुए) –4.75 मीटर

निर्धारित लम्बाई, चौडाई अथवा ऊँचाई से बडी बॉडी बनाना सडक सुरक्षा की दृष्टि से गलत है तथा अन्य वाहनों/व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। ऐसा करना मोटरयान अधिनियम की धारा 190(2) के तहत अपराध है, जिसके लिए प्रथम बार 1000/– रूपये तक तथा दोबारा अपराध करने पर 2000/– रूपये तक जुर्माना हो सकता है।

☞ केन्द्रीय मोटरयान नियम 93 के अनुसार ट्रक ट्रेलर तथा ट्रैक्टर ट्राली की अधिकतम लम्बाई एवं ऊँचाई क्रमशः 18 मीटर एवं 4.2 मीटर है। इसका उल्लघंन धारा 190(2) के तहत अपराध है।

पीछे देखने का शीशा–

केन्द्रीय मोटरयान नियम 125 के अनुसार सभी मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए शीशा लगा होना चाहिए। यह शीशा ऐसे लगा होना चाहिए जिससे कि ड्राईवर अपने पीछे के ट्रैफिक को साफ तौर पर देख सके।

हॉर्न–

केन्द्रीय मोटरयान नियम 119 के अनुसार तरह–तरह की ध्वनि वाले हॉर्न मान्य नहीं हैं। ऐसे हॉर्न जो बहुत तेज आवाज में संगीत बजाते और कर्कश होते हैं, वे सख्ती से मना हैं।

कलर स्कीम–

- किसी भी मोटर वाहन का रंग Olive Green (आर्मी कलर) नहीं हो सकता–केन्द्रीय मोटरयान नियम 121(1)
- पर्यटन वाहनों का रंग सफेद होगा जिसके बीच में 5 सैंटीमीटर चौड़ी नीले रंग की पट्टी होगी–केन्द्रीय मोटरयान नियम 121(2)
- राष्ट्रीय परमिट (National Permit) के मालवाहनों का रंग भूरा (Brown)होगा जिसका बार्डर सफेद 30 सैंटीमीटर चौड़ा होगा; वाहन के दोनों तरफ 60 सैंटीमीटर के वृत्त (Circle) में बडे अक्षरों से "राष्ट्रीय परमिट" लिखा जायेगा– केन्द्रीय मोटरयान नियम 90
- शैक्षणिक संस्थानों के मोटर वाहनों का रंग पीला होगा तथा बॉडी के चारों और खिडकी के 178 मिली मीटर नीचे 254 मिली मीटर चौड़ी गहरी नीले रंग की पट्टी होगी– हरियाणा मोटरयान नियम 131(2)
- पुलिस विभाग के मोटर साईकलों को छोडकर किसी अन्य दुपहिया वाहन का रंग पीला नही होगा–हरियाणा मोटरयान नियम 131(3)

अध्याय 3 - अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ

शराब के नशे में वाहन चलाना (Drunken Driving)-

निर्धारित सीमा से अधिक शराब के नशे में वाहन चलाना मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत अपराध है । इस अपराध के लिए पहली बार 6 मास तक का कारावास अथवा दो हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं। तीन वर्ष की अवधि के अन्दर दोबारा यह अपराध करने पर 2 वर्ष तक का कारावास अथवा तीन हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं ।

धारा 185 के अधीन दण्ड देने पर न्यायालय द्वारा शराबी चालक को पहले अपराध के लिये कम से कम 6 महीने तक ड्राईविंग लाईसेंस रखने अर्थात वाहन चलाने के अयोग्य घोषित करना अनिवार्य है। यह प्रावधान मोटरयान अधिनियम की धारा 20 उप–धारा (2) में किया गया है। इस प्रकार धारा 185 के अधीन दूसरी बार सजा होने पर न्यायालय अनिवार्य रूप से शराबी चालक का ड्राईविंग लाईसेंस रद्द करेगा। यह प्रावधान धारा 22 (2) में किया गया है।

धारा 185 के अधीन रक्त में एल्कोहल की निर्धारित सीमा–

एल्को सैन्सर द्वारा टैस्ट में रक्त में एल्कोहल की मात्रा यदि 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक हो तो धारा 185 का अपराध बनता है। वर्दीधारी पुलिस अधिकारी धारा 185 का अपराध करने पर धारा 202 के तहत दोषी चालक को बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तारी की अवस्था में गिरफ्तार किये हुए व्यक्ति का दो घन्टे के अन्दर–2 सरकारी हस्पताल में चिकित्सा परीक्षण करवाना आवश्यक है।

बिना वारन्ट गिरफ्तारी की शक्तियाँ –

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 202 के अनुसार वर्दीधारी पुलिस अधिकारी निम्नलिखित परिस्थितियों में वाहन चालक को बिना वारन्ट गिरफतार कर सकता हैः–

क) यदि वाहन चालक ऐसे पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में धारा 184 (खतरनाक ढंग से वाहन चलाना) अथवा धारा 185 (शराब पीकर अथवा अन्य मादक पदार्थ के नशे में वाहन चलाना) अथवा धारा 197 (अनाधिकृत रूप से वाहन चलाना) का अपराध करता है।

ख) यदि वाहन चालक इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है,परन्तु पुलिस अधिकारी द्वारा पूछने पर अपना नाम व पता नहीं बताता ।

नोट : धारा 202 उप–धारा (3) के अनुसार वर्दीधारी पुलिस अधिकारी उपरोक्त स्थिति में यदि किसी भी वाहन चालक को गिरफ्तार करता है तो वह वाहन का परिस्थितियों के अनुसार जैसा उचित समझे सुनिश्चित निपटान अस्थाई रूप से करने हेतू सक्षम होगा ।

आवश्यक दस्तावेज़

कोई व्यक्ति यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाता है तो उस से निम्न दस्तावेज मांगे जा सकते हैः–

1. बीमा प्रमाण पत्र (Insurance papers)
2. पंजीयन प्रमाण पत्र (Registration Certificate - RC)
3. ड्राईविंग लाईसेंस (DL)
4. सड़क टैक्स की अदायगी का सबूत (Road TaxReceipt)
5 प्रदूषण नियन्त्रण (PUC) प्रमाण पत्र। नये वाहन में पी.यू. सी. प्रमाण पत्र एक साल के लिए वैध रहता है तथा इसके बाद हर छः महीने में नया पी.यू.सी. प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है ।
6. परिवहन वाहन के मामले में फिटनेस प्रमाण पत्र और परमिट भी जरूरी है। (धारा 58)

किसी वाहन को किन परिस्थितियों में जब्त किया जा सकता है ?

पुलिस अथवा यातायात अधिकारी निम्न परिस्थितियों/कारणों से किसी वाहन को जब्त कर सकते हैंः–

1. यदि ड्राईवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा हो (धारा 202 उप धारा (3)
2 .वाहन बिना ड्राईविंग लाईसेंस के चलाया जा रहा हो (धारा 207 व 3)

3 वाहन निर्धारित आयु से कम आयु के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो(धारा 207 व 4)

4. वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा हो (धारा 207 व 39)

5. व्यवसायिक वाहन बिना परमिट के चलाया जा रहा हो (धारा 207 व 66)

6. व्यवसायिक वाहन परमिट की शर्तों के विरूद्ध चलाया जा रहा हो (धारा 207 व 66)

7. वाहन पर यदि संदेह पूर्ण नम्बर प्लेट लगी हो (अपराधिक दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 102)

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC Certificate) के बिना ड्राईविंग–

1. केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 115 (7) के अनुसार वाहन पंजीकरण की एक वर्ष की अवधि के पश्चात प्रत्येक वाहन के लिए वैद्य प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र (Pollution Under Control Certificate) रखना अनिवार्य है । यह सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजैन्सी द्वारा ही जारी किया जायेगा तथा 6 महीने के लिए वैध होगा ।

2. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 116 (1) के तहत पुलिस के उप निरीक्षक अथवा उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी अथवा परिवहन विभाग के निरीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारी को यदि प्रतीत हो कि कोई वाहन प्रदूषण की निर्धारित मात्रा से अधिक प्रदूषण फैला रहा है अथवा वाहन में प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र नहीं है, तो वह वाहन चालक को किसी अधिकृत प्रदूषण जाँच एजैन्सी से प्रदूषण चैक करवाने हेतू आदेश दे सकता है। ऐसा निर्देश मिलने पर वाहन चालक प्रदूषण चैक करवाकर प्रमाण पत्र 7 दिन के अन्दर–2 बताये गये पते पर भेजने का जिम्मेवार होगा । यदि वाहन चालक इन निर्देशों की पालना नहीं करता तो वह मोटरयान अधिनियम की धारा

190 (2) के तहत अपराधी होगा, जिस के तहत प्रथम अपराध के लिए 1000/–रूपये का जुर्माना तथा उसके बाद अपराध करने पर प्रत्येक बार 2000/– रूपये तक जुर्माना हो सकता है।

गति सीमा–

मोटरयान अधिनियम की धारा 112 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर निर्धारित अधिकतम गति सीमा से अधिक अथवा न्यूनतम गति सीमा से कम गति पर वाहन चलाना मोटरयान अधिनियम की धारा 183 के तहत अपराध है जिसके लिए पहली बार 400 रू तक तथा दोबारा अपराध करने पर 1000 रू तक जुर्माना हो सकता है। गति सीमा का निर्धारण राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। यातायात पुलिस को चाहिए कि राजमार्गों तथा अन्य मार्गों पर समुचित स्थानों पर गति सीमा के बोर्ड पर्याप्त संख्या में लगवाए तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला सड़क सुरक्षा कमेटी की मींटिग में यह विषय उठाए। वाहनों की निर्धारित गति सीमा निम्न तालिका में दी जा रही है

वाहन का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य राजमार्ग	अन्य मुख्य सड़कें
बस/ट्रक	65	65	60
कार/जीप	90	80	70
मोटर साईकिल/स्कूटर	50	50	45

☞ सडक विनियम 1989 के नियम 27 के अनुसार जब भी कोई वाहन किसी जलसे अथवा पुलिस/सैन्य बलो के दस्ते अथवा सडक पर काम करते मजदूरों के पास से गुजरेगा तो वाहन की अधिकतम गति सीमा 25 किलोमिटर प्रति घण्टा होगी।

मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार पुलिस अधिकारियों की शक्तियां एंव कर्तव्य –

- मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार विभिन्न मुख्य अपराधों की परिभाषा तथा निर्धारित दण्ड का विवरण इस अधिनियम के अध्याय 13 में दिया गया हैं। बिन्दुवार सूचि **परिशिष्ट 'ख'** पर सलंग्न है।

- इस सूचि में दिये गये अपराधों के अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम अथवा केन्द्रीय व राज्य मोटरयान नियमों के अन्य किसी भी प्रावधान की उल्लघंना धारा 177 के तहत दण्डनीय है। इस धारा के तहत प्रथम बार 100/– रूपये तक जुर्माना तथा दूसरी बार अथवा उसके पश्चात अपराध करने पर 300/– रूपये तक जुर्माना हो सकता है । इस धारा के तहत प्रायः किये जाने वाले कुछ अपराधों की सूचि **(परिशिष्ट 'ग')** में दी गई है ।

- मोटरयान अधिनियम के तहत किये गये निम्न अपराध धारा 200 के तहत प्रशम्य (Compoundable) हैः–

  धारा 170, 178, 179, 180, 181, 182, 183(1), 183(2), 184, 186, 189,190(2), 191, 192, 194, 196, 198.

  उपरोक्त अपराध करने पर कोई भी व्यक्ति पुलिस अथवा परिवहन विभाग के निर्धारित स्तर के अधिकारियों को निर्धारित जुर्माना देकर अपराध Compound करवा सकता हैं।

ज्ञात रहे कि मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध मुख्य रूप से धारा 177 से 198 तक वर्णित हैं। अध्याय 13 की शेष धाराऐं –धारा 199 से 210 तक – मुख्यतः प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि धारा 114 के तहत परिवहन वाहन का वजन तुलवाने की शक्ति केवल परिवहन विभाग के निर्धारित स्तर के अधिकारियों को ही है। पुलिस अधिकारियों को यह शक्ति नहीं दी गई है,परन्तु यदि पुलिस अधिकारी को ओवरलोडिंग का कोई भी अन्य साक्ष्य मिलता है (जैसे कि बिल्टी पर लिखा वजन) तो वह धारा 194 का चालान भी कर सकता है। केवल वाहन का वजन तुलवाने हेतू ही ट्रांसपोर्ट विभाग के निर्धारित स्तर के अधिकारी की आवश्यकता होती है। संक्षेप में कहे तो, मोटरयान अधिनियम में वर्णित सभी अपराधों का चालान करने के लिए सभी स्तर के पुलिस अधिकारी सक्षम हैं।

☞ यह समझना आवश्यक है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत किये गये चालान कानून की नजर में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के तहत इस्तगासा (Criminal Complaint) के समान हैं। न्यायालय द्वारा इनका निपटारा मोटरयान अधिनियम की धारा 208 तथा दण्ड

प्रक्रिया की धारा 244 से 247 तथा 260 के अनुसार किया जाता है।

पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए चालान (Criminal Complaint) व संज्ञान मोटरयान अधिनियम की धारा 208 के अनुसार लेने उपरान्त यदि दोषी वाहन चालक अपना जुर्म कबूलता है तो न्यायालय उसको समुचित दण्ड देगा, ऐसा न करने पर न्यायालय दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 260 के अनुसार सारांश परीक्षण (summary trial) कर सकता है।

मोटरयान अधिनियम की धारा 213

राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त धारा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में परिवहन विभाग का गठन किया गया है । यह विभाग राज्य परिवहन नियन्त्रक (State Transport Controller) के नियन्त्रण में कार्य करता है। इस विभाग में सचिव, क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण (RTA) तथा विभिन्न अन्य पद सृजित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त जिलों में नियुक्त उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, उप मण्डल अधिकारी (नागरिक),नगराधीश, महाप्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन आदि को परिवहन अधिकारियों की शक्तियाँ दी गई हैं। हरियाणा मोटरयान नियम 1993 के नियम226 में परिवहन विभाग के विभिन्न अधिकारियों को चालान करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिसकी प्रति **परिशिष्ट 'घ'** पर सलंग्न है।

धारा 210 – न्यायालय द्वारा सजा की सूचना–

जब भी न्यायालय किसी व्यक्ति को मोटरयान अधिनियम के तहत सजा देगा तो इसकी सूचना वह सम्बन्धित लाईसेंसिग प्राधिकरण जिसने लाईसेंस जारी किया है अथवा नवीनीकृत किया है, को दोषी व्यक्ति तथा उसके लाईसेंस का पूर्ण विवरण तथा दी गई सजा/जुर्माने के विवरण सहित भेजने का जिम्मेवार होगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य अपराध, जिसको करने में किसी मोटर वाहन का इस्तेमाल हुआ हो, के लिये सजा होती है, तो भी न्यायालय सबंधित लाईसेंसिंग प्राधिकरण जिसने दोषी व्यक्ति का लाईसेंस जारी किया है अथवा नवीनीकृत किया है, को समुचित जानकारी भेजेगा।

नमित कुमार केस–

उपरोक्त फैसले में माननीय पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल बसों के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश **परिशिष्ट'च'** में दिये गये है।

इस केस में न्यायालय द्वारा दिये गये अन्य दिशा निर्देश **परिशिष्ट 'छ'** में दिये गये है।

मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट, 1968

इस एक्ट की धारा 13 के अनुसार कोई भी मोटर ट्रांसपोर्ट कर्मी (जैसे कि चालक, परिचालक आदि) जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, प्रतिदिन अधिकतम 8 घण्टे एवम् सप्ताह में अधिकतम 48 घण्टे से ज्यादा कार्य नहीं करेगा। लम्बे रूट पर चलते हुए अथवा त्यौहार इत्यादि जैसे अवसरों पर मोटर ट्रांसपोर्ट कर्मी प्रतिदिन अधिकतम 10 घण्टे तथा सप्ताह में अधिकतम 54 घण्टे तक काम कर सकता है। इस प्रावधान की उल्लघंना धारा 31 के तहत दण्डनीय है। इसके लिये प्रथम बार तीन माह तक का कारावास अथवा 500/– रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है, दोबारा अपराध करने पर दोषी को 6 माह तक का कारावास अथवा 1000/– रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

नोटः–यह अधिनियम प्रत्येक ऐसी सरकारी अथवा प्राईवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी पर लागू होता है जिसमें पाँच या उससें अधिक कर्मी कार्यरत हों।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 24/17/81–3टी (ii) दिनांक 27.04.2006 के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में ड्यूटी पर रहने के दौरान, वाहन के ऊपर लाल बत्ती के साथ फ्लैशर का इस्तेमाल निम्न गणमान्य अधिकारी कर सकते हैः–

1. राष्ट्रपति
2. उप राष्ट्रपति
3. पूर्व राष्ट्रपति
4. प्रधानमंत्री
5. उप प्रधानमंत्री
6. पूर्व प्रधानमंत्री
7. भारत के मुख्य न्यायाधीश
8. लोकसभा अध्यक्ष
9. केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
10. योजना आयोग के उपाध्यक्ष
11. राज्य सभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता
12. सभी उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश

देश में कहीं भी ड्यूटी के दौरान वाहन के ऊपर बिना फ्लैशर वाली लाल बत्ती निम्न गणमान्य अधिकारी लगा सकते हैः–

1. मुख्य आयुक्त
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
3. राज्यसभा के उपसभापति
4. लोक सभा के उपाध्यक्ष
5. राज्यों के मंत्री
6. योजना आयोग के सदस्य
7. भारत के महान्यायवादी (Attorney General)
8. मंत्रीमण्डल
9. तीनों सेनाओं के प्रमुख या समतुल्य पद आसीन अधिकारी
10. केंद्रीय उपमंत्री
11. लेफ्टिनेट जनरल या समतुल्य रैंक के अधिकारी
12. अध्यक्ष,केंद्रीय प्रशासकीय अधिकरण
13. अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग
14. अध्यक्ष,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग
15. अध्यक्ष, केंद्रीय लोक सेवा आयोग

हरियाणा के निम्नलिखित गणमान्य व्यक्ति लाल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं:–

1. महामहिम राज्य हरियाणा
2. डायरेक्टर जनरल , पुलिस
3. मुख्यमंत्री हरियाणा
4. सभी अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल पुलिस
5. इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस
6. डी.आई.जी. स्तर के अधिकारी
7. माननीय मुख्य न्यायधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय न्यायधीश
8. पुलिस अधीक्षक
9. सभी कैबिनेट राज्यमंत्री
10. विधानसभा के स्पीकर व डिप्टी स्पीकर
11 हरियाणा राज्य विधान सभा के सदस्य
12. मंडल आयुक्त / उपायुक्त
13. हरियाणा राज्य विधान परिषद के सदस्य
14. मुख्य सचिव, हरियाणा
15. मुख्य संसदीय सचिव तथा संसदीय सचिव
16. सभी वित्तायुक्त मुख्य सचिव व प्रशासनिक सचिव
17. सभी वित्तायुक्त
18. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
19. मुख्य आयुक्त,आयकर अथवा समकक्ष
20. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय जिला व सत्र न्यायालय के रजिस्ट्रार
21. महालेखाकार (ऑडिट / लेखा) हरियाणा
22. विपक्ष के नेता
23. शासकीय, राजनैतिक पार्टी के प्रधान / कार्यवाहक प्रधान
24. अध्यक्ष जिला परिषद व मेयर नगर–निगम, कारपोरेशन, फरीदाबाद
25. पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के विधि परमार्शी
26. एडवोकेट जनरल हरियाणा
27. चेयरमेन हरियाणा लोक सेवा आयोग
28. चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सैलेक्शन आयेाग
29. हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 24/17/81–3टी (ii) दिनांक 27.04.2006 के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में ड्यूटी पर रहने के दौरान, वाहन के ऊपर नीली बत्ती का प्रयोग हरियाणा राज्य सरकार के आदेशानुसार निम्न व्यक्ति ही कर सकते है:–

1. हरियाणा की सभी विश्वविद्यालयों के उप–कुलपति
2. अतिरिक्त उपायुक्त
3. उपमंडल मैजिस्ट्रेट
4. सिटी मैजिस्ट्रेट
5. हरियाणा भवन ,नई दिल्ली आवास आयुक्त के वाहन
6. राज भवन के वाहन
7. मुख्यमंत्री कार्यालय के सभी वाहन, और सुरक्षा वाहन समेत
8. कर विभाग में एक्साईज एण्ड टेक्सेशन ऑफिसर से ऊँचे पद के सभी अधिकारी
9. हरियाणा के पुलिस अधिकारी जो उप–पुलिस अधीक्षक पद से नीचे के न हो।
10. हरियाणा पुलिस के सभी एस.एच.ओ
11. माइन्स व ज्योलोजी विभाग व के अधिकारी
12. वी.वी.आई.पी./वी.आई.पी. इमेरजेन्सी डयूटी के वाहन
13. अग्नि–शमन वाहन, एम्बूलैंस या अन्य राहत कार्य में लगे वाहन
14. आपातकालीन ड्यूटी में लगे वाहन जैसाकि पुलिस वाहन इत्यादि रक्षार्थ एवं मार्गदर्शी वाहन इत्यादि ।

- यदि ऊपर दिये व्यक्तियों को सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया है तो वे अपने किसी एक निजी वाहन पर लाल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं।
- ऐसे वाहन भी फ्लशर के साथ नीली बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं जो किसी (लाल बत्ती वाहन में बैठे) गणमान्य व्यक्ति को एस्कोर्ट कर रहे हों।
- यदि किसी वाहन में लाल बत्ती लगी है पर सम्बन्धित गणमान्य व्यक्ति उस वाहन में नही बैठा है, तो बत्ती को काले कवर से ढ़क कर रखा जायेगा।

परिशिष्ट 'ख'

अपराध और दण्ड

क्र.स.	अपराध	दण्ड	धारा
1.	पुलिस अधिकारी के आदेश की अवहेलना करना अथवा इस अधिनियम के तहत सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाना	500/रूपये तक जुर्माना	179(1)
2.	ट्रैफिक संकेतों की अवहेलना	500/रूपये तक जुर्माना	119/179(1)
3.	वर्दीधारी उप निरीक्षक अथवा उससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के निर्देश पर दुर्घटना में शामिल वाहन को न रोकना (परन्तु वाहन को 24 घन्टे से अधिक नहीं रोक सकते)	500/रूपये तक जुर्माना	132/179(1)
4.	ड्राईवर द्वारा लाईसेंस अथवा अन्य जानकारी पुलिस द्वारा मांगे जाने पर न देना अथवा गलत जानकारी देना	एक माह तक कारावास अथवा 500/रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों	130(1)/179(2)
5.	अनाधिकृत व्यक्ति (बगैर ड्राईविंग लाईसेंस अथवा कम आयु के व्यक्ति) को वाहन चलाने के लिए देना	अधिकतम 3 माह तक कारावास, अथवा 1000/रू. तक जुर्माना अथवा दोनों	5/180
6.	बिना ड्राईविंग लाईसेंस के वाहन चलाना	अधिकतम 3 माह तक कारावास, अथवा 500/रू. तक जुर्माना अथवा दोनों	3/181
7.	धारा 4 द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु में गाड़ी चलाना (Underage driving)	अधिकतम 3 माह तक कारावास, अथवा 500/रू. तक जुर्माना अथवा दोनों	4/181
8.	ड्राईविंग के अयोग्य घोषित व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाना, अथवा पूर्व में किये गए अयोग्यता के पृष्ठांकन को छुपाते हुए ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करना अथवा ऐसा लाईसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन देना ।	500/–रु0 तक जुर्माना अथवा 3 माह तक का कारावास अथवा दोनों। दोषी द्वारा इस प्रकार प्राप्त ड्राईविंग लाईसेंस को भी अवैध माना जायेगा।	3/182(1)
9.	परिचालन के अयोग्य घोषित व्यक्ति द्वारा परिचालन करना, अथवा पूर्व में किये गए अयोग्यता के पृष्ठांकन को छुपाते हुए परिचालक लाईसेंस प्राप्त करना अथवा ऐसा लाईसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन देना	एक माह तक का कारावास अथवा 500/रू. तक जुर्माना अथवा दोनों	3/182(2)

क्र.स.	अपराध	दण्ड	धारा
10.	निर्धारित गति सीमा का उल्लघंन	प्रथम अपराध के लिए 400 रूपये तथा दोबारा अपराध करने पर 1000 रूपये जुर्माना अदा करना होगा।	183
11.	खतरनाक तरीके से वाहन चलाना	प्रथम अपराध के लिए 6 माह तक का कारावास अथवा एक हजार रूपए तक जुर्माना अथवा दोनों, इसके पश्चात तीन साल के भीतर दोबारा अपराध करने पर दो वर्ष तक का कारावास अथवा 2000/– रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों (धारा 184 के तहत दूसरी बार सजा होने पर न्यायालय अनिवार्य रूप से चालक को अधिकतम 5 वर्ष तक के लिये वाहन चलाने के अयोग्य घोषित करेगा)	184
12.	वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का इस्तेमाल	प्रथम अपराध के लिए 6 माह तक का कारावास अथवा एक हजार रूपए तक जुर्माना अथवा दोनों, इसके पश्चात तीन साल के भीतर दोबारा अपराध करने पर दो वर्ष तक का कारावास अथवा 2000/– रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों पहले अपराध के लिए 6 मास तक का	184 185
13.	शराब पीकर वाहन चलाना, अथवा ऐसी दवा के प्रभाव में वाहन चलाना जिससे वाहन पर चालक का समुचित नियंत्रण न रहे	कारावास अथवा 2000/– रु0 तक जुर्माना अथवा दोनों, तीन साल के भीतर दोबारा अपराध करने पर दो साल तक का कारावास अथवा 3000/– रू0 तक जुर्माना अथवा दोनों (इस धारा के तहत सजा उपरान्त चालक को कम से कम छः माह के लिए वाहन चलाने के अयोग्य घोषित करना अनिवार्य है तथा दूसरी बार सजा होने पर उसका लाईसेंस अनिवार्य रूप से रद्द किया जाएगा)	
14	मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ होते हुए वाहन चलाना जिससे दूसरों को खतरा हो	पहले अपराध के लिए 200/– रु0 तक जुर्माना और फिर अपराध करने पर 500/– रूपये तक जुर्माना	186

क्र.स.	अपराध	दण्ड	धारा
15.	ड्राईवर या मौके पर मौजूद व्यक्ति द्वारा दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति को जो घायल है या किसी सम्पत्ति को नुकसान हुआ है, उनके लिए चिकित्सा मुहैया नहीं कराना, पुलिस को और बीमा कंपनी को दुर्घटना की सूचना नहीं	प्रथम अपराध के लिए तीन माह का कारावास अथवा 500/– रु0 तक जुर्माना या दोनों, दोबारा अपराध के लिए 6 मास तक कारावास अथवा 1000/– रु0 तक जुर्माना अथवा दोनों	134/187
16.	धारा 184, 185 अथवा 186 के अपराध करने हेतु उकसाना (Abet)	सबंधित धारा के तहत निर्धारित सजा	188
17.	वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन	प्रथम अपराध के लिए 1000/– रु0 जुर्माना और उसके बाद अपराध के लिए 2000/– रु0 तक जुर्माना	190(2)
18.	सड़क सुरक्षा मानकों का उल्लंघन (जैसे रिफलैक्टर न लगाना, पायदान लगाना, निर्धारित आकार से बड़ी बॉडी आदि)	प्रथम अपराध के लिए 1000/– रु0 तक जुर्माना और उसके बाद अपराध के लिए 2000/– रु0 तक जुर्माना	190(2)
19.	ऐसे वाहन का उपयोग करना, जो जनसाधारण के लिये खतरनाक हो सकता है	प्रथम अपराध के लिए 1000/– रु0 तक जुर्माना और उसके बाद अपराध के लिए 2000/– रु0 तक जुर्माना	190(2)
20.	शोर संबधी मानको का उल्लंघन (जैसे बिना/फटे साइलैंसर के साथ वाहन चलाना)	प्रथम अपराध के लिए 1000/– रु0 तक जुर्माना और उसके बाद अपराध के लिए 2000/– रु0 तक जुर्माना	190(2)
21.	खिड़की के शीशों पर काली फिल्म का अनधिकृत उपयोग	पहली बार 1000/– रु0 तक जुर्माना, दोबारा अपराध के लिए 2000/– रु0 तक जुर्माना	190(2)
22.	बगैर जरूरत के हॉर्न बजाना या शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाना	प्रथम बार 1000/– रु0 तक जुर्माना, दोबारा अपराध करने पर 2000/– रु0 तक जुर्माना	190(2)

क्र.स.	अपराध	दण्ड	धारा
23.	प्रेशर हॉर्न या मल्टीटोन हॉर्न बजाना	प्रथम बार 1000/– रु0 तक जुर्माना, दोबारा अपराध करने पर 2000/– रु0 तक जुर्माना	CMVR 119/ 190(2)
24	खराब साइलेंसर के कारण यदि वाहन शोर करता हो या वाहन में तेज आवाज में संगीत बजाना	प्रथम बार 1000/– रु0 तक जुर्माना, दूसरी बार अपराध करने पर 2000/– रु0 तक जुर्माना	CMVR 119/ 190(2)
25	बिना रिफ्लैक्टर अथवा गैर निर्धारित रिफ्लैक्टर के वाहन चलाना	प्रथम अपराध के लिए 1000/– रु0 तक जुर्माना, दोबारा अपराध के लिए 2000/– रु0 तक जुर्माना ।	104/ 104A 190(2)
26	विस्फोटक,ज्वलनशील खतरनाक पदार्थ सबंधी नियमों का उल्लंघन	प्रथम अपराध के लिए 3,000/– रु0 तक जुर्माना अथवा एक साल तक का कारावास अथवा दोनों। दूसरी बार या उसके पश्चात अपराध के लिए 5000 रू तक जुर्माना अथवा तीन वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों।	190(3)
27	बगैर रजिस्ट्रेशन अथवा बगैर नम्बर प्लेट अथवा गैर पैटर्न की नम्बर प्लेट लगाकर वाहन चलाना या वाहन चलाने की अनुमति देना	प्रथम अपराध के लिए न्यूनतम 2,000/– रु0 से अधिकतम 5,000/– रु0 तक जुर्माना, दूसरी बार या उसके बाद अपराध के लिए न्यूनतम 5,000/– रु0 से 10,000/– रु0 तक जुर्माना, अथवा एक वर्ष तक कारावास, अथवा दोनों।	39/ 192(2)
28	परिवहन यान को बगैर परमिट के चलाना, या परमिट की शर्तो जैसे कि तयशुदा मार्ग, तयशुदा मकसद, का उल्लंघन	प्रथम अपराध के लिए 1000/– रु0 जुर्माना और उसके बाद अपराध के लिए 2000/– रु0 तक जुर्माना	66/ 192A
29	परिवहन वाहनों पर समयावधि/क्षेत्र/मार्ग पर प्रवेश सबंधी प्रतिबंध का उल्लंघन	न्यूनतम 2,000/–रू0 तक जुर्माना	194

क्र.स.	अपराध	दण्ड	धारा
30	ओवरलोडिंग	न्यूनतम 2000/- जुर्माना और अतिरिक्त भार पर प्रति टन 1000/- तक अतिरिक्त जुर्माना, लदे हुए माल को खाली करने का खर्चा भी देना होगा।	113(3) 194(1)
31	अधिकृत अधिकारी द्वारा वाहन तुलवाने के निर्देश का उल्लंघन, तथा तुलने से पहले ही अतिरिक्त माल उतरवाना	3000/– रु0 तक का जुर्माना	194(2)
32	बगैर अथवा खत्म हो चुके तृतीय पक्ष बीमे के वाहन चलाना अथवा चलाने देना	तीन माह तक का कारावास अथवा 1000/– रु0 तक जुर्माना अथवा दोनों	146/ 196
33	सार्वजनिक स्थान से खराब वाहन को न हटाना जिससे सुगम यातायात में बाधा पैदा होती है।	50/– रु0 प्रति घण्टा तक, जब तक ऐसी स्थिति बनी रहती है और यदि शासकीय एजेंसी द्वारा उसे हटाया जाता है तो उसे खिँचने का शुल्क ड्राईवर या मालिक द्वारा वहन किया जायेगा।	201

धारा 177 के तहत अपराध

परिशिष्ट 'ग'

क्र.स.	अपराध	धारा/नियम
1.	ड्राईविंग लाईसेंस का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को करने देना।	धारा 6(2)
2.	एक से अधिक ड्राईविंग लाईसेंस रखना (प्रशिक्षु लाईसेंस अथवा केन्द्र सरकार के वाहन चलाने के लाईसेंस के अतिरिक्त)	धारा 6
3.	बगैर प्रशिक्षक के प्रशिक्षु लाईसेंस के बल पर वाहन चलाना ।	केन्द्रीय मोटरयान नियम 3
4.	बगैर प्रशिक्षु प्लेट "L" लगाए वाहन चलाना।	केन्द्रीय मोटरयान नियम 3
5.	पते में परिवर्तन की सूचना तय समय पर नहीं देना अथवा अन्य राज्य के रजिस्ट्रेशन चिन्ह पर 12 माह से अधिक समय तक बिना सूचित किए गाड़ी चलाना ।	धारा 47
6.	वाहन के स्थानातंरण की रिपोर्ट निहित समयावधि में न देना ।	धारा 50(3)
7.	लोगों को बोनट बोर्ड या वाहन की बॉडी के बाहर बैठाना या ले जाना ।	धारा 123
8.	वाहन पर लटकना अथवा बोनट या छत पर सवारी करना।	धारा 123
9.	चालक द्वारा यात्रियों को वाहन में खड़े होना देना अथवा इस प्रकार बैठाना जिससे उसका वाहन पर नियत्रंण कम हो।	धारा 125
10.	यातायात चिन्हों का पालन नहीं करना, जरूरी सड़क संकेतों/दिये रास्तों/प्रवेश निषेध/एकांकी मार्ग प्रवेश/बांए मुड़ना निषेध/दांए मुड़ना निषेध/'यू' टर्न नहीं/हॉर्न न बजाना/बांए मुडना अनिवार्य/दांए मुड़ना अनिवार्य/केवल दांए चलें/साईकिल पथ आदि संकेतों का उल्लंघन करना	Rules of the Road Regulations, 1989 धारा 119

क्र.स.	अपराध	धारा /नियम
11.	आगे और पीछे की बत्तियों का सूर्यास्त के आधे घण्टे पश्चात न जलाना अथवा जहाँ जरूरी हो वहाँ ऐसा न करना।	केन्द्रीय मोटरयान नियम 105(1)
12.	पहाड़ी मोड़ पर या किसी अन्य मोड़ पर ओवरटेक करना या पीछे के वाहन को ओवरटेक करने में बाधा डालना या रफ्तार बढ़ाना।	Rules of the Road Regulations, 1989
13.	गलत 'यू' टर्न लेना, 'यू' टर्न उस स्थान पर लेना जहाँ ऐसा करना मना है, या बगैर सिग्नल के मना है ।	–यथा–
14.	सम्भाग / घुमावों पर / पैदल पथ पार / पर अग्निशामक यान या एम्बुलेन्स को रास्ता नहीं देना या ऊँचाई पर जा रहे वाहनों को रास्ता न देना ।	–यथा–
15.	बगैर संकेत दिये लेन बदलना या आड़ा–तिरछा वाहन चलाना ।	–यथा–
16.	मोड़ पर, ओवरटेक करते समय, रूकना, लेन बदलने के लिए उचित संकेत न देना।	–यथा–
17.	सुरक्षा कारण के अतिरिक्त ब्रेक लगाना ।	–यथा–
18.	सुरक्षित दूरी बनाए रखने में असफल रहना ।	–यथा–
19	निषेध स्थान पर पार्किंग, गैर पार्किंग क्षेत्र में वाहन छोड़ देना, ऐसे जगह पार्किंग करना जहॉ मना है, या गाड़ी ऐसे खड़ा करना जिससे सड़क उपयोग करने वालों को परेशानी होती हो।	Rules of the Road Regulations, 1989 का नियम 15
20.	सार्वजनिक स्थल पर ऐसे वाहन को खड़ा कर देना जिससे दुर्घटना या खतरे का डर पैदा होता हो।	धारा 122
21.	बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाना	धारा 129
22.	दुपहिया वाहन / मोटरसाईकिल पर तीन लोगों द्वारा सवारी	धारा 128(1)
23.	पिछले पहिये पर बिना व्हील गार्ड के मोटरसाईकिल, या पीछे बैठने वाले के लिए स्थाई ग्रिप वाला फुटरेस्ट न होना ।	केन्द्रीय मोटरयान नियम 123
24.	लाल / नीली संकेत बत्तियों का अनाधिकृत उपयोग।	केन्द्रीय मोटरयान नियम 108
25.	स्पॉट लाईट, सर्च लाईट, स्तब्ध कर देने वाली रोशनी, कोहरे के लिए उपयोग की जाने वाली लाईट का गलत उपयोग।	केन्द्रीय मोटरयान नियम 111
26.	वाहन चलाते समय धूम्रपान करना ।	केन्द्रीय मोटरयान नियम 19

क्र.स.	अपराध	धारा /नियम
27.	सीट बेल्ट का उपयोग न करना।	केन्द्रीय मोटरयान नियम 125
28.	अनुचित तरीके से गाड़ी खींच कर ले जाना ।	हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 का नियम 166
29.	शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों को ऐसे वाहन चालक द्वारा चलाना जिसके पास पांच वर्ष से कम ड्राइविंग का अनुभव हो, और इन पांच सालों में उसके द्वारा यातायात अपराधों का उल्लंघन किया गया हो और धारा 279 / 336 / 337 / 338 / 304–ए आदि के तहत् चालान जारी किया गया हो ।	नमित कुमार दिशा निर्देश
30.	वी.आई.पी. के मार्गरक्षक / पायलेट द्वारा नियमों का पालन न करना।	नमित कुमार दिशा निर्देश
31.	यदि कोई वाहन धुआँ उत्सर्जन के तयशुदा मानकों / स्तर का दूसरी बार उल्लंघन करता है।	नमित कुमार दिशा निर्देश
32.	लोक या शासकीय वाहन के चालक यदि तीन या तीन से अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाये जाते है या प्रदूषण नियंत्रण कानून का उल्लंघन करते पाये जाते है।	नमित कुमार दिशा निर्देश

परिशिष्ट 'घ'

परिवहन अधिकारियों की शक्तियाँ

क्र.स.	अधिकारी	मोटरयान नियम 1988 की धारा
1.	राज्य परिवहन नियन्त्रक (State Transport Controller)	177,178,179,180,181,182,183 (1) 183(2), 184,186,189,191,192(1) 192ए(1)194,196,198
2.	सम्बन्धित उपायुक्त (Deputy Commissioner concerned)	177,178,179,180,181,182,183 (1) 183(2), 184,186,189,191,192(1) 192ए(1)194,196,198
3.	अतिरिक्त उपायुक्त (Additional Deputy Commissioner)	177,178,179,180,181,182,183 (1) 183(2), 184,186,189,191,192(1) 192ए(1)194,196,198
4.	अतिरिक्त/संयुक्त राज्य परिवहन नियन्त्रक (Additional/Joint State Transport Controller)	177,178,179,180,181,182,183 (1) 183(2), 184,186,189,191,192(1) 192ए(1)194,196,198
5.	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारण (Secretary, Regional Transport Authority)	177,178,179,180,181,182,183 (1) 183(2), 184,186,189,191,192(1) 192ए(1)194,196,198
6.	उड़न दस्ता अधिकारी (Flying Squad Officer)	177,178,179,180,181,182,183 (1) 183(2), 184,186,189,191,192(1) 192ए(1)194,196,198
7.	उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं पंजीकरण प्राधिकरण (मोटर) (Sub Divisional Officer (Civil)-cum-Registering Authority (Motors)	177,178,179,180,181,182,183 (1) 183(2), 184,186,189,191,192(1) 192ए(1)194,196,198
8.	नगराधीश (City Magistrate)	177,178,179,180,181,182,183 (1) 183(2), 184,186,189,191,192(1) 192ए(1)194,196,198
9.	परिवहन आयुक्त (Transport Commissioner)	177,178,179,180,181,182,183 (1) 183(2), 184,186,189,191,192(1) 192ए(1)194,196,198
10.	अतिरिक्त/संयुक्त परिवहन आयुक्त (Additional/Joint Transport Commissioner)	177,178,179,180,181,182,183 (1) 183(2), 184,186,189,191,192(1) 192ए(1)194,196,198

क्र.स.	अधिकारी	मोटरयान नियम 1988 की धारा
	मंहाप्रबन्धक, हरियाणा परिवहन (General Manager, Haryana Roadways)	177,178,192,192 ए (1),196
	यातायात प्रबन्धक, हरियाणा परिवहन (Traffic Manager, Haryana Roadways)	177,178,192,192 ए (1),196
	मोटर वाहन अधिकारी (इन्फोर्समैन्ट) (Motor Vehicle Officer (Enforcement)	177,178,179,180,181,182,183 (1) 183(2), 184,186,189,191,192(1) 192ए(1)194,196,198
	मोटर वाहन निरीक्षक (इन्फोर्समैन्ट) (Motor Vehicle Inspector (Enforcement)	177,178,179,180,181,182,183 (1) 183(2), 184,186,189,191,192(1) 192ए(1)194,196,198
	सहायक सचिव, क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण (Assistant Secretary, RTA)	177,178,179,180,181,182,183 (1) 183(2), 184,186,189,191,192(1) 192ए(1)194,196,198

नमित कुमार केस– शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशा निर्देश :

1. प्रत्येक गाड़ी, बस या किसी अन्य प्रकार का साधन/वाहन जो स्कूल के बच्चों को लाएगा व लेकर जाएगा ऐसी गाड़ी/वाहन का धारा 66 मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार परमिट होना चाहिए।
2. सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रयोग होने वाली गाड़ियों में उचित फिटनेस व बीमा सर्टिफिकेट होना चाहिए।
3. सभी शैक्षणिक संस्थानों में चलने वाली गाड़ियों पर केवल उन्हीं ड्राईवरों को रखा जाएगा जिनके पास पांच वर्ष का गाड़ी चलाने का अनुभव होगा।
4. पांच वर्ष की अवधि के दौरान चालक के तीन से अधिक यातायात सम्बन्धी चालान नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त चालक का धारा 279/336/337/338/304 ए, आई.पी.सी. के तहत एक बार भी चालान नहीं होना चाहिए।
5. सभी शैक्षणिक संस्थानों में वाहनों के ड्राईवरों व कण्डक्टर निर्धारित वर्दी में होगे।
6. ड्राईवर व कण्डक्टर को नियुक्ति करते समय उनके सक्ष्म अधिकारी द्वारा जारी लाईसैंस चैक करने उपरान्त ही उनकी नियुक्ति की जायेगी।
7. सभी स्कूलों की बसों पर कण्डक्टर या सहायक होंगे। जिनको बच्चों को संभालने का सही ज्ञान होना चाहिए।
8. मुख्य मार्गो पर किस सैक्टर/कालोनी में कहाँ–कहाँ से बच्चों को चढ़ाना/उतारना है उन स्थानों को मार्क करेंगे।
9. प्रत्येक ड्राईवर/कण्डक्टर जो बसों पर नियुक्त किए जाएंगे उनका दो वर्ष में कम से कम एक बार रिफरेशर कोर्स होगा।
10. जब तक शैक्षणिक संस्थानों में चलने वाली गाड़िया प्रदूषण सर्टिफिकेट प्राप्त न कर ले तब तक ऐसी गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी।

11. शिक्षण संस्थानों में लगाई गई गाड़ियों को चालक अधिकतम 50 कि.मी. प्रति घंटा की गति से ही चलाएंगे।
12 .सभी शैक्षणिक संस्थानों की गाड़ियों पर शिक्षा संस्था का नाम, रूट व आने जाने का समय आदि सूचनाएं लिखी होनी चाहिए।
13. सभी शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों से फर्स्ट ऐड बॉक्स होना चाहिए।
14. शैक्षणिक संस्थान यह सुनिशिचित करेंगे कि सभी गाड़ियां बच्चों को संस्थान की चार दिवारी के भीतर छोड़े और लें।
15. शैक्षणिक संस्थानों की बसों में जितनी सीटें है उतने ही बच्चों को बिठाये जाएं।
16. सभी स्कूलों के अंदर पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी।
17. स्कूल/शिक्षा संस्थाएं अपनी निजी स्टाफ नियुक्त करके ट्रैफिक नियंत्रित करेंगे।
18. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों के ड्राईवरों का वर्ष में एक बार डाक्टरी परीक्षण होना चाहिए।

नमित कुमार केस-अन्य दिशा निर्देश

1. सभी बस, ट्रक व अन्य छोटे वाहन चाहें वे किसी का निजी वाहन हो या किसी संस्था का हो, कानून के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी अवश्य रखेगे।

2. सभी गाड़ियों जैसे बस ट्रक व कारो इत्यादि पर प्रेशर हॉर्न या संगीत हॉर्न लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। केवल नियम 119 मोटरयान अधिनियम 1988 अनुसार ही गाड़ी निर्माता हॉर्न लगायेगे।

3. किसी भी भारी व हल्के वाहन के शीशों पर काली फिल्म नहीं लगाई जायेगी। ऐसे वाहन का तुरन्त चालान किया जायेगा तथा काली फिल्म उसी समय उतरवा दी जायेगी।

4. राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी या निजी वाहन पर लाल या नीली बत्ती नहीं लगाई जायेगी।

5. सभी ट्रक/बस यूनियनो के प्रधान अपने सभी चालको/परिचालको को परिवहन विभाग से सर्म्पक करके रिफरैशर कोर्स करवायेगे और सम्बन्धित विभाग सरकार की नोटीफिकेशन अनुसार चालको/परिचालको को प्रमाण पत्र जारी करेगे।

6. हल्के व भारी वाहनों की गति सीमा, सड़क के साईडो में बोर्डो पर अंकित की जायेगी।

7. सभी ड्राईवर/कण्डक्टर निर्धारित वर्दी पहनेंगे। जिस पर नाम व लाईसैन्स नम्बर की प्लेट लगी होगी।

8. सभी प्रकार के वाहन चालक अपने वाहन को सड़क पर नियमानुसार चलायेगे ताकि सड़कों को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे।

9. ड्राईवर के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राईविंग लाईसैन्स होना अनिवार्य है यदि कोई ऐसा करता पाया जाये तो ऐसी गाड़ी को तुरन्त धारा 207 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत बन्द कर दिया जाये।

10. मुख्य मार्गो पर किनारे के साथ–2 जहां पैदल यात्री चलते हैं, के 15 फुट तक कोई भी रेहड़ी नहीं लगाई जायेगी अथवा ढाबा या गैर कानूनी निर्माण नहीं करने दिया जायेगा।

11. सभी गाड़ियों के लिये उचित पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी तथा किसी भी गाड़ी को अवैध स्थान पर पार्क नहीं करनें दिया जायेगा। विशेषकर मुख्य मार्गो या बाहर के अन्दर अवैध पार्किंग नहीं की जायेगी।

12. सभी पुरूष व महिलायें दुपहियां वाहनों को चलाते समय या जो पीछे सवारी बैठी है सभी हैल्मेट का प्रयोग अवश्य करेंगे। सिख समुदाय के व्यक्ति जो पगड़ी पहनते है उन्हें हैल्मेंट पहनने की छुट दी गई है।

13. सभी सड़कों, गलियों, रास्तों पर लाईट की व्यवस्था की जायेगी ।

14. सभी मुख्य चौराहों व सड़क के मध्य में सम्बन्धित विभाग द्वारा पैदल यात्रियों के लिए जैबरा क्रासिंग बनाई जायेगी।

15. सभी एस्कोर्ट व पायलेट गाड़ियां जो वी.आई.पी. को एस्कोर्ट अथवा पायलेट करेगी सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करेगी तथा कोई भी गाड़ी लाल लाईट का उल्लघंन नहीं करेगी।

16. सभी भारी वाहन चालक सड़को पर लेन ड्राइविंग करेगें।

17. यदि कोई भी सरकारी गाड़ी का चालक 3 बार से ज्यादा यातायात नियमों की उल्लघंना करता पाया जाये तो उसके खिलाफ सम्बन्धित विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। सभी चालक मैडिकली फिट होगे तथा 5 वर्ष से एक बार उनका मैडिकल परीक्षण अवश्य करवाया जायेगा।

18. सभी चालकों का सम्बन्धित विभाग द्वारा 5 वर्ष में एक बार मैडिकल फिटनैस परीक्षण अवश्य करवाया जायेगा।

19. सड़को पर किसी प्रकार के अनावश्यक घोषणाएं/विज्ञापन आदि के होर्डिग लगे हो तो उन्हे मुख्य मार्गो से तुरन्त हटाया जायेगा।

20. मुख्य मार्गो पर साईन बोर्ड लगाये जायेगे जिन पर रूट, कालोनी का नाम, गति सीमा इत्यादि लिखे होगे। जो स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहियें।

21. सम्बन्धित विभाग, नगर निगम सड़को के किनारे पड़े कूडा–करकट को उठवायेगें। इसी प्रकार मुख्य सड़कों पर दुकानदारों द्वारा या किसी घर के मालिक द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

22. जो गाड़ी बार–2 प्रदूषण चैकिंग परीक्षण में फेल होती है ऐसी गाड़ी को off road कर दिया जायेगा।

23. पैट्रोलियम विभाग के सम्बन्धित अधिकारी अपनी सीमा में समय–2 पर पैट्रोल पम्पों के सैम्पल लेगे तथा वह सुनिश्चित करेंगे कि कोई पैट्रोल पम्प मिलावटी तेल तो नही बेच रहा है।

24. किसी भी गाड़ी में आवश्यकता से अधिक उंची आवाज में कोई भी संगीत बजाने की अनुमति नहीं होगी। जितना बैठने वालों को सुनाई दे उससे अधिक आवाज में कोई संगीत नहीं बजाने दिया जायेगा।

25. किसी भी गाडी जिसका साईलैन्सर सही कार्य नहीं कर रहा हो या अनावश्यक शोर/आवाज को नियन्त्रित नहीं कर रहा हो, को सड़क पर नहीं चलनें दिया जायेगा।

26. यदि कोई गाड़ी दो बार चैंक करनें पर धुआं निकलने वाले स्टैण्डर्ड में पास नहीं होता है तो उसे तब तक चलानें की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक वह सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लेता कि वह चलानें योग्य हैं।

27. सभी गाड़ियों कानूनी हिदायतों अनुसार अगर सड़क पर चलने योग्य है तो ही सड़क पर चलेगी वरना धारा 59 मोटरयान

अधिनियम अनुसार नकारा कर दिया जायेगा और सड़क पर ऐसे वाहनों को नहीं चलने दिया जायेगा।

28. अगर किसी ड्राईवर का लाईसैन्स चालान के रूप में 5 बार पंचकिया जा चुका है (ट्रैफिक पुलिस या सक्षम अधिकारी द्वारा) तो ऐसे ड्राईवर का लाईसैन्स रद्ध कर दिया जायेगा।

29. कोई भी थ्री–व्हीलर, टैक्सी, जीप, मैटाडोर, मैक्सी कैब या अन्य किसी प्रकार का वाहन ओवरलोड सवारियां भरकर नहीं चलनें दिया जायेगा तथा यदि कोई कानून का उल्लघंन करता है तो चालान या इम्पाउंड किया जायेगा।